न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 144/2020

प्रार्थी

1. श्रीमती संतोष पुत्री स्व. श्री उमाराम पत्नि श्री हितेष कुमार जाति मेघवाल निवासी नानरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती सोनीदेवी पत्नि श्री अचलाराम जाति मेघवाल निवासी नानरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सचिव ग्राम पंचायत नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. सरपंच ग्राम पंचायत नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री मुनव्वर हुसैन अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से।

निर्णय **दिनांक 06.10.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 31 दिनांक 31.07.2019 प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 31.07.2019 क्षेत्रफल वर्गफीट 495 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत नियम विरूद्ध जारी किया गया है । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थित दी। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री मुनव्वर हुसैन द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियम विरूद्ध पटटा जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल संख्या 42/2018–19 दिनांक 05.03.2019 को दर्ज की गई है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या 42/2018–19 दिनांक 05.03.2019 दर्ज है। अप्रार्थी संख्या दो व तीन द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को प्रदत्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थिया स्व. श्री उमाराम पुत्र श्री देवा की इकलौती पुत्री है जिसका जन्म नानरवाडा में अपने पिता के पुश्तैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मकान में हुआ है एवं प्रार्थिया का विवाह भी अपने पिता के पुश्तैनी मकान में हुआ है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक को जो विवादित पट्टा जारी किया गया है वह भूमि प्रार्थिया के स्व. पिता श्री उमाराम की है एवं प्रार्थिया का विवाह 8–10 वर्ष पूर्व होने से वह अपने ससुराल आबूरोड रहने चली गई एवं बीच–बीच में वह अपने पिता के पुश्तैनी मकान में आती रहती थी। यह है कि प्रार्थिया के पिता का उक्त कब्जाशुदा भूमि पर केलूपोश मकान भी बना हुआ है, जिसमें उसके पिता ने विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। यह है कि उक्त मकान के उत्तर दिशा में श्री पूराराम पुत्र श्री भीखा का पट्टाशुदा मकान आया हुआ है, जिसका पट्टा संख्या 2945 दिनांक 27.12.2010 को जारी हुआ था। उक्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी की दक्षिण दिशा में श्री उमाराम पुत्र श्री देवाराम मेघवाल का मकान दर्शाया हुआ है, जो प्रार्थिया के पिता का मकान है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के पति श्री अचलाराम का नानरवाडा में ही इस विवादित पट्टे के ठीक सामने पट्टाशुदा मकान है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक विवाह के बाद से अपने पति के साथ रह रही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक के पति का पट्टाशुदा मकान होने के बावजूद पंचायत अप्रार्थी संख्या एक को रियायती दर पर पट्टा नहीं दे सकती इससे भारी राजस्व का घाटा होगा। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा पट्टे प्राप्ति हेतु जो आवेदन किया उस पर तारीख अंकित नहीं है, भूमि का माप अंकित नहीं है तथा भूखण्ड की चतुर्दशी गलत दर्शाई हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या एक की उम्र भी नहीं दर्शाई गई है। यह है कि पट्टे के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र तस्दीक शुदा नहीं है न ही इस पर नोटरी हस्ताक्षर व नोटरी स्टाम्प लगा है। अतः प्रार्थिया की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर प्रार्थिया के काका श्री अचलाराम पुत्र श्री देवाराम जो अप्रार्थी संख्या एक के पति है, ने षडयन्त्रपूर्वक ग्राम पंचायत से मेल–मिलाप कर पट्टा जारी करवाया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमार कर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 31.07.2019 नियम विरूद्ध है, जिसे खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा शुल्क लेकर जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है । इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है ।

अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी का वर्षो पुराना कमरा बना हुआ था, जो वर्तमान में जर्जर हो चुका है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के [illegible]00 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत [illegible] करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व 50 वर्षो से अधिक 100 रूपये पूर्व में सनिर्मित पुराने गृहों के लिए

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण में उक्त नियम की पालना कर ही पट्टा जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थिया जब तीन साल की थी तब प्रार्थिया की माता का देहान्त हो जाने से प्रार्थिया के पिता श्री उमाराम के हिस्से का कमरा अप्रार्थी संख्या एक को सुपूर्द करने को कहा परन्तु उस समय अप्रार्थिया के पति ने लिखत कार्यवाही नहीं करवाई जिसका समाज के सामने देने का कबूल किया था एवं उक्त कमरा बाद सार–संभाल के बगैर गिर गया था एवं अप्रार्थिया के अपने कब्जे की भूमि का पट्टा बना कर दिया। यह है कि प्रार्थिया का पिता अहमदाबाद में ही रहता था और अहमदाबाद में प्रार्थिया के दादा श्री देवाराम जी का कमरा पेटे भाडे पर आई हुई थी जो कमरा सन् 2001 में प्रार्थिया के पिता श्री उमाराम जी ने अकेले ही बेचान कर दिया। यह है कि प्रार्थिया के पिता श्री उमाराम ने कहा था कि उसके अपने हिस्से की 3 बीघा जमीन व रहवासी कमरे की जमीन अपने छोटे भाई श्री अचलाराम की रहेगी और उसकी बेटी के विवाह का खर्चा श्री अचलाराम ही उठाएगा। यह है कि प्रार्थिया के पिता के कथनानुसार अप्रार्थिया व उसके पति ने प्रार्थिया के विवाह का समस्त खर्चा वहन किया एवं इसके पश्चात प्रार्थिया आबूरोड रहने चली गई। यह है कि अप्रार्थिया अनपढ महिला है जिससे पत्रावली पर नाप या तारीख अंकित नहीं होने की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अप्रार्थी संख्या एक के हक में नियम 157(1) के तहत जारी पट्टे को दिनांक 20.03.2020 को उपपंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा से पंजीकृत करवाया है जिससे उक्त पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही है, माननीय न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज निरस्त किए जाने का अधिकार नहीं होने से यह निगरानी माननीय न्यायालय में परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 31.07.2019 नियमों के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) तहत ही जारी किया गया है। पट्टा जारी करते समय पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

सरपंच ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या पट्टा संख्या 31 दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखता है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त [illegible] पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या [illegible] वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 2[illegible] [illegible] करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व 50 वर्षों से अधिक 100 रूपये पूर्व में सनिर्मित पुराने गृहों के लिए

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विवादित पट्टे की उत्तर दिशा में श्री पूराराम पुत्र श्री भीखा का पट्टाशुदा मकान आया हुआ है। चूंकि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा श्री पूराराम को पट्टा जारी करते समय पूराराम के स्थान पर गलती से भूराराम अंकित कर दिया जिसके संबंध में श्री पूराराम ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया, जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुलिस थाना सरूपगंज द्वारा की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भी विवादित पट्टे की उत्तर दिशा में श्री पूराराम पुत्र श्री भीखाराम का मकान आया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा श्री पूराराम पुत्र श्री भीखाराम को पट्टा जारी करते समय त्रुटिवश श्री पूराराम के स्थान पर श्री भूराराम कर दिया था, जिसका पट्टा संख्या 2945 दिनांक 27.12.2010 को जारी हुआ था। उक्त पट्टा संख्या 2945 में अंकित चतुर्दशी की दक्षिण दिशा में श्री उमाराम पुत्र श्री देवाराम मेघवाल का मकान दर्शाया हुआ है, जो प्रार्थिया के पिता का मकान है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में प्रार्थिया के पति के नाम थी एवं यह बात अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थिया श्री उमाराम की एकलौती संतान है एवं श्री उमाराम की मृत्यु के पूर्व में ही विवादित भूमि पर बना हुआ कमरा गिर गया था एवं उस पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा है। यह है कि प्रार्थिया श्री उमाराम की एकलौती संतान होने से श्री उमाराम की भूमि पर प्रार्थिया का ही अधिकार है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि का प्रार्थिया के पिता श्री उमाराम ने अप्रार्थी संख्या एक को देने के लिए कहा था परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी तरह का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय भूमि के मालिकाना हक की पुष्टि नहीं की गई है एवं पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है एवं आपत्ति नोटिस पर पत्र जावक क्रमांक/दिनांक अंकित नहीं कर मिसल क्रमांक अंकित नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किया गया यह कथन कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का वर्षो पुराना कब्जा था परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा यह पट्टा नियम 157(1) के तहत दिया गया है एवं नियम 157(1) के तहत पुराने आवास गृहों का पट्टा दिए जाने का प्रावधान है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा वर्षो पूर्व का पाया जाता हो। अतः ऐसी स्थिति मे पट्टेधारी का पट्टा खारिज कर उसे मौके से बेदखल करना न्याय संगत होगा। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किया गया पंजीकृत पट्टे का सवाल है तो इस न्यायालय की लाईब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टांत 2018 (3) RLW 2325 Raj घेवरचंद बनाम राजस्थान सरकार में बताया गया है कि Registration of a patta is only a Consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential. ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] को ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 31 दिनांक [illegible] प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 31.07.2019 क्षेत्रफल वर्गफीट 495 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner